न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –33 / 2017 जिला अलवर।

1. छाजू राम सैनी पुत्र श्री कन्हैया लाल सैनी, जाति माली, निवासी ढाणी पण्डाली, ग्राम पोस्ट हरसौरा, तहसील बानसूर, जिला अलवर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. बने सिंह पुत्र श्री जग्गू सिंह , जाति राजपूत, निवासी ढाणी पण्डाली ग्राम पोस्ट हरसौरा, तहसील बानसूर, जिला अलवर (राज.)

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर दिनांक 19.6.2014

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री सुमेर सैनी
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री विजय सिंह राठौड

निर्णय

दिनांक– 9.1.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर के आदेश दिनांक 19.6.2014 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि न्यायालय सहायक कलक्टर के आदेश की पालना बाबत उप खण्ड अधिकारी बानसूर ने रेस्पोंडेन्ट बने सिह के प्रार्थना पत्र पर आदेश दिनांक 19.6.2014 पारित कर ढाणी पन्डावाली, तन हरसौरा में दिनांक 30.5.2014 को आराजी खसरा नम्बर 732 रकबा 0.12 का खातेदार छाजू पुत्र कन्हैया के द्वारा तहसीलदार व हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार की गई पैमाईश में हाल नक्शा रिकार्ड से ज्यादा होने पर व पुराने नक्शे के अनुसार भी ज्यादा होने पर प्रार्थी द्वारा उक्त पैमाईश पर नाराजगी जताई जाने पर उक्त पैमाईश को आगामी आदेश तक निष्क्रिय मानते हुये दोनों पक्षकारों को पूर्व में काबिज अपनी आराजी (दिनांक 30.5.2014 की पैमाईश से पूर्व) की स्थिति के अनुसार काबिज रहने एवं जब तक न्यायालय का नक्शा दुरूस्ती के संबंध में कोई आदेश नहीं हो तब तक दोनों पक्षों को पूर्व की तरह काबिज रहने के लिए पाबन्द करने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना हरसौरा, तहसील बानसूर , जिला अलवर को आदेश दिये गये ।

चित्रा अतिरिक्त संभागीय जयपुर

उप खण्ड अधिकारी बानसूर के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट छाजू राम सैनी द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 17.9.2014 को प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.6.2014 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थी आराजी खसरा नम्बर 732 रकबा 0.12 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार है तथा उपरोक्त

आराजी पर पैमाईश कराने हेतु दिनांक 18.10.2013 को आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिस पर दिनांक 25.10.13 को आराजी खसरा नम्बर 732 का सीमाज्ञान कर मौका पर्चा रिपोर्ट बनाकर भूमि की सीमाए निर्धारित करदी गई थी । इसके पश्चात् पुलिस इमदाद की सहायता से दिनांक 30.5.2014 को उक्त भूमि खसरा नम्बर 732 की सीमाज्ञान की भूमि पर पत्थरगढी भी करदी गई थी । उक्त दोनों आदेशों की जानकारी रेस्पोंडेन्ट को प्रारम्भ से ही थी , लेकिन तथ्यों को छिपाते हुये रेस्पोंडेन्ट द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांक 17.6.2014 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर अपीलार्थी को सुनवाई का मौका दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धन्त है कि कोई भी आदेश या निर्णय से पीडित पक्ष को अपीलीय न्यायालय अथवा उच्चतर न्यायालय के समक्ष चुनौती देनी चाहिये थी जिसको नजरन्दाज करते हुये रेस्पोंडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया । उनका कहना था कि पूर्व में पारित आदेश अथवा निर्णय को वही न्यायालय किसी भी आवेदन पर ना तो पुनरिक्षीत कर सकता है और ना ही उसे अपास्त कर सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में पूर्व में सीमाज्ञान व पत्थरगढी के पारित आदेशों जिनका निष्पादन पूर्ण हो चुका था को मध्यनजर रखे बिना एवं अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः न्यायहित में विलम्ब को क्षमा कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही थी, लेकिन यह अपील मियाद बाहर पेश की है तथा विलम्ब का कारण भी संतोषजनक नहीं है । मियाद का बिन्दु भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसको नजरन्दाज नहीं किया जाना चाहिये । सर्वप्रथम अपील मियाद बाहर होने के आधार पर ही खारिज की जावे । उनका कहना था कि विवादित भूमि के संबंध में रेस्पोंडेन्ट का दावा उनवानी बने सिंह बनाम छाजू न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर के समक्ष विचाराधीन है जिसमें उनके हक हकूको का निर्धारण होना है । न्यायालय सहायक कलक्टर के आदेश की पालना बाबत अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बानसूर ने रेस्पोंडेन्ट बने सिंह के प्रार्थना पत्र पर पत्र क्रमांकः 2014/3103 दिनांक 19.6.2014 थानाधिकारी , पुलिस थाना हरसौरा, तहसील बानसूर को लिखा जाकर ढाणी पन्डावाली , तन हरसौरा में दिनांक 30.5.2014 को आराजी खसरा नम्बर 732 रकबा 0.12 का खातेदार छाजू पुत्र कन्हैया के द्वारा तहसीलदार व हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार की गई पैमाईश में हाल नक्शा रिकार्ड से ज्यादा होने पर व पुराने नक्शे के अनुसार भी ज्यादा होने पर प्रार्थी द्वारा उक्त पैमाईश पर नाराजगी जताई जाने पर उक्त पैमाईश को आगामी आदेश तक निष्क्रिय मानते हुये दोनों पक्षकारों को पूर्व में काबिज अपनी आराजी (दिनांक 30.5.2014 की पैमाईश से पूर्व) की स्थिति के अनुसार काबिज रहने एवं जब तक न्यायालय का नक्शा दुरूस्ती के संबंध में कोई आदेश नहीं हो तब तक दोनों पक्षों को पूर्व की तरह काबिज रहने के लिए पाबन्द किया है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय का यह आदेश एक प्रशासनिक आदेश है जिसकी कानूनन अपील मेन्टेनेबल नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद ढाणी

चित्र
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

पन्डावाली, तन हरसौरा के आराजी खसरा नम्बर 732 रकबा 0.12 की पैमाईश का है । न्यायालय सहायक कलक्टर के आदेश की पालना बाबत अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बानसूर ने पत्र दिनांक 19.6.2014 थानाधिकारी, पुलिस थाना हरसौरा , तहसील बानसूर , जिला अलवर को लिखा गया कि ढाणी पन्डावाली , तन हरसौरा में दिनांक 30.5.2014 को आराजी खसरा नं. 732 रकबा 0.12 का खातेदार छाजू पुत्र कन्हैया के द्वारा तहसीलदार व हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार की गई पैमाईश में हाल नक्शा रिकार्ड से ज्यादा होने पर व पुराने नक्शे के अनुसार भी ज्यादा होने पर उसके द्वारा उक्त पैमाईश पर नाराजगी जताई जाने पर न्यायालय ने उक्त पैमाईश को आगामी आदेश तजक निष्क्रय मानते हुये दोनों पक्षकारों को पूर्व में काबिज अपनी आराजी (दिनांक 30.5.14 की पैमाईश से पूर्व) की स्थिति के अनुसार काबिज रहने एवं जब तक न्यायालय का नक्शा दुरूस्ती के संबंध में कोई आदेश नहीं हो तब तक दोनों पक्षों को पूर्व की तरह काबिज रहने के लिये पाबन्द किया जावे ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारों के मध्य दावे उनवानी बने सिंह बनाम छाजू बाबत स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर के समक्ष विचाराधीन है जिनमें ही पक्षकारों के हक हकूकों का निर्धारण होना है । इसी परिपेक्ष्य में न्यायालय सहायक कलक्टर के आदेश की पालना बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने पत्र दिनांक 19.6.2014 थानाधिकारी, पुलिस थाना हरसौरा , तहसील बानसूर , जिला अलवर को लिखा जाकर विवादित आराजी कीदिनांक 30.5.14 को की गई पैमाईश में तहसीलदार एवं पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार हाल नक्शा रिकार्ड से ज्यादा होने व पुराने नक्शे के अनुसार भी ज्यादा होने पर पैमाईश दिनांक 30.5.14 को निष्क्रिय मानते हुये दोनों पक्षकारों को पूर्व में काबिज अपनी आराजी पर दिनांक 30.5.14 की पैमाईश से पूर्व की स्थिति के अनुसार काबिज रहने एवं जब तक न्यायालय से नक्शा दुरूस्ती के संबंध में कोई आदेश नहीं हो तब तक दोनों पक्षों को पूर्व की तरह काबिज रहने के लिये पाबन्द किये जाने हेतु लिखा है । हम समझते हैं कि पक्षकारों के हक हकूक विचाराधीन दावो में ही तय होगें । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी बानसूर दिनांक 19.6.14 उचित एवं विधिसम्य है तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर